वार मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

13/01/2022

न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 46/2015

मुन्ना उरांव बनाम ज्योत्सना सरकार

आदेश

प्रश्नगत पुनरीक्षण उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–111/R-15-2002-03 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है। आवेदक द्वारा ग्राम–हातमा में अवस्थित खाता नम्बर–101, प्लॉट नम्बर–99, रकबा–2 कट्ठा, 13 छटांक भूमि के वापसी हेतु दावा किया गया था, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। आवेदक द्वारा इस वाद में अंतिम हाजिरी दिनांक–20.12.2016 को दायर की गयी थी, जिस तिथि को विपक्षियों को नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त तिथि के पश्चात् विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु आवेदक किसी भी तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। आवेदक का दावा है कि वे खतियानी रैयत ज्यौरी उरांव के वंशज है। विपक्षी द्वारा अवैध तरीके से प्रश्नगत् भूमि का क्रय किये जाने का दावा किया गया है, जो गलत है। अशिक्षित आदिवासियों को बहला–फुसलाकर उनकी भूमि हस्तांतरित की गयी है, जिसे वापस किया जाना चाहिए। प्रश्नगत् वाद में भूमि वापसी का दावा 40 वर्षों के अन्तर्गत किया गया है।

निम्न् न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत् भूमि के 1942 में हस्तांतरण का दावा किया गया है। प्रश्नगत् भूमि उमेश चन्द्र सरकार द्वारा 1950 में प्राप्त की गयी थी, जिसके पश्चात् 1965 में Tital Suit के माध्यम से भी विपक्षी के स्वत्व को सम्पुष्ट किया गया था। यह भूमि विपक्षी द्वारा एक समझौता डिक्री के आधार पर प्राप्त की गयी है, जो 1965 में की गयी थी। भूमि का

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

वास्तविक हस्तांतरण 1950 में किया गया है। प्रश्नगत् भूमि वापसी का दावा वर्ष 2001 में किया गया था, जिस कारण उसे कालवाधित मानते हुये निम्न न्यायालय द्वारा भूमि वापसी के दावे को अमान्य कर दिया गया था। प्रश्नगत् वाद में आवेदक की तरफ से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि निम्न् न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। यह भूमि वापसी का दावा निश्चित रूप से कालबाधित है, जैसा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में अंकित किया गया है। आवेदक को इस वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं है, जैसा कि उनके लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट हो रहा है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त।

आयुक्त।

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 11:14:14 +05:30
Location: 192.168.1.40